CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED, RAIPUR

(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance to the provisions under Section 62 and 86(1) of the Electricity Act-2003 and Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) has filed a petition **(No-02 of 2022)** for final True-up of FY-2020-21, Aggregate Revenue Requirement(ARR) for control period FY 2022-23 to FY 2024-25 and determination of Transmission Tariff proposal for FY 2022-23 before the Hon'ble Commission.

CSPTCL has requested to approve ARR of Rs.955.16 Cr. for true-up of FY 2020-21 and also requested to approve ARR of Rs. **1121.78Cr., 1256.83 Cr. & 1624.49 Cr.** for **FY 2022-23, FY 2023-24 & FY 2024-25** respectively.

Copies of the tariff petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and at the office of the Chief Engineer(C&RA),CSPTCL, Danganiya, Raipur which can be purchased on any working day on payment of Rs.300/-& may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/-. Copies of petition are also available at website www.cspc.co.in and www.cserc.gov.in.

Persons intending to file objections / suggestions relating to the tariff proposals of CSPTCL may send the copies of objections / suggestions with documents and evidence in support thereof directly to Chief Engineer(C&RA). CSPTCL, Danganiya, Raipur and to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Advance copies of objections / comments may also be sent to CSPTCL at fax no - **0771-2574698** and to CSERC at fax no – **0771-4073553**. The Commission shall also hear the persons for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Chief Engineer(C&RA)
CSPTCL, Raipur

SAVE ELECTRICITY

SIZE 18X2

Approved

19.01.22

Superintending Engineer,
O/o Chief Engineer (C&RA)
CSPTCL, Raipur

छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर

(छत्तीसगढ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 86(1) में निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के अनुसार पूर्व वर्ष 2020–21 के फाइनल ट्रू–अप, आगामी तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022–23 से वर्ष 2024–25 की अवधि हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं वर्ष 2022–23 के पारेषण टैरिफ अवधारण के लिये याचिका क्रमांक 02/2022 माननीय छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पारेषण कम्पनी द्वारा उक्त याचिका में वर्ष 2020–21 के ट्रू–अप हेतु रू. 955.16 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 के लिये क्रमशः रू. 1121.78 करोड़, रू. 1256.83 करोड़ एवं रू. 1624.49 करोड़ के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका की प्रतियॉ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं मुख्य अभियंता(वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या.,रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हे रूपये 300/–के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है।उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रूपये 50/–के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालय से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति मुख्य अभियंता(वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या.,रायपुर एव/या सचिव छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर को इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर भेज सकते है। सुझाव/आपत्तियॉ छ.ग.राज्य विद्युत पारे. कं. मर्या. को फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574698 एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग को नम्बर 0771–4073553 पर भेजी जा सकती है।आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर व्यक्तिगत सुनवाई भी की जावेगी, इसकी सूचना अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

यह सूचना एवं याचिका कम्पनी के वेबसाइट www.cspc.co.in एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं नियामक मामले)
छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारे. कं. मर्या., रायपुर

"स्वहित एवं राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें।

SIZE 18X2

Approved

19.01.22

Superintending Engineer.
O/o Chief Engineer (C&RA)
CSPTCL, Raipur